UPEW010018382020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट/न्या० कक्ष सं०–2, इटावा।

परिवाद संख्या–383/2020

दलवीर सिंह कठेरिया बनाम रामचन्द्र आदि।

दिनांक 09.05.2023

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का परिशीलन किया।

संक्षेप में परिवादपत्र के अनुसार कथानक इस प्रकार है कि आवेदक दलवीर सिंह अनुसूचित जाति का है। आवेदक दिनांक 11.05.2020 को अपनी माता श्रीमती विमला देवी के साथ सायं 8.00 बजे विपक्षी संख्या–4 की दुकान पर जरूरी सामान लेने गया था। सामान लेकर आवेदक अपनी माता के साथ लौटने लगा, तभी दुकान के पास ही विपक्षीगण बेवजह एक राय होकर आवेदक की मारपीट करने लगे तथा आवेदक एवं उसकी माता को जातिसूचक शब्दों धनुका आदि का प्रयोग करते हुये आवेदक के साथ से आवश्यक सामान चीनी, साबुन, तम्बाबू आदि को छुड़ा लिया। मौके पर शोर शराबा सुनकर गॉव के अवनीश, अनुज तथा आवेदक का भाई राहुल तथा अन्य लोग आ गये, जिन्होंने घटना को देखा। विपक्षीगण अपने हाथों में लाठी, डण्डा, सरिया लिये थे। आवेदक तथा उसकी मां ने जान का खतरा भांपते हुये घटनास्थल से चुपचाप अपने घर जाना ही उचित समझा। जैसे ही आवेदक तथा उसकी माता व भाई घर चलने लगे तो पुनः विपक्षीगण ऐलानियां कहने लगे कि साले धनुका चल अब भागकर कहॉ जायेगा तथा आवेदक का पीछा करते हुये आवेदक के घर में घुसकर भी लात, घूसों से मारा तथा ऐलानियां जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि हम दो लाख रूपये पुलिस को दे देंगे, रिपोर्ट नहीं लिखने देंगे। चूॅकि आवदेक चोटों के कारण चलने में असमर्थ था तो उसने अपनी माता विमला देवी को थाना जसवन्त नगर पर विपक्षीगण के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने भेजा तो थाने में आवेदक की माता विमला देवी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उसी दिन दिनांक 12.05.2020 को एक प्रार्थनापत्र आवेदक की माता जी द्वारा विपक्षीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु दिया गया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 02.06.2020 को एक प्रार्थनापत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को दिया, परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तत्पश्चात् यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

आवेदक ने अपने कथनों के समर्थन में छायाप्रति आधारकार्ड , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, असल रजिस्ट्री रसीद, छायाप्रति आहत आख्या दलवीर एवं छायाप्रति जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों को समर्थित करते हुये परिवादी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा–200 दं०प्र०संहिता में कहा है कि मैं व मेरी माता जी रवि की दुकान पर सामान लेने गये थे। रामचन्द्र ने कहा कि धानुक जरा लम्बाकू दे। मैंने कहा कि सही बोलो तो रामचन्द्र, अनिल, सुरेन्द्र, राजवीर, विवेक मुझे मारपीट करने लगे।

लाठी डंडों से मारा कहा कि साले धानुक कहॉ भागकर जायेगा। थाने मेरी माता जी रिपोर्ट लिखाने गयी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। यह 11.05.20 की बात है।

परिवादी की ओर से अपने कथनो के समर्थन में साक्षी सी०डब्लू० –1 राहुल सिंह एवं सी०डब्लू०–2 आशीष खाँ का बयान धारा 202 दं०प्र० संहिता अंकित कराया गया है। परिवादी के उक्त बयान को साक्षी सी०डब्लू० –1 राहुल सिंह एवं सी० डब्लू० 2 आशीष खाँ ने अपने बयान धारा 202 दं०प्र०संहिता से समर्थित किया और स्पष्टतः प्रस्तावित उपरोक्त अभियुक्तगण की भूमिका को स्पष्ट किया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रामचन्द्र, अनिल कुमार उर्फ हरिश्चन्द्र, सुरेन्द्र, विवेक एवं राजवीर के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या धारा–323 भा०दं० संहिता एवं धारा–3(2)(Va)एससी/एसटी (पी०ए०)एक्ट के तहत अपराध का मामला बनता हुआ पाया जाता है। अतः उन्हें उक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **रामचन्द्र, अनिल कुमार उर्फ हरिश्चन्द्र, सुरेन्द्र, विवेक एवं राजवीर** को धारा 323 भा०दं० संहिता एवं धारा–3(2)(Va)एससी/एसटी (पी०ए०) एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु दिनांक 07.07.2023 के लिये समन द्वारा तलब किया जाये। परिवादी धारा–204 दं०प्र०संहिता के अनुसार यथेष्ठ पैरवी अन्दर 10 दिन करे।

(कुमार प्रशान्त)
यू०पी०–6296
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(पी०ए०)एक्ट,
न्यायालय कक्ष सं०–2, इटावा।
09.05.2023

Digitally signed by KUMAR PRASHANT
Date: 2023.05.09 14:00:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court